सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 16, शनिवार, *शाके* 1947- मार्च 07, 2026 Phalguna 16, Saturday, Saka 1947- March 07, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

अधिसूचना

उदयपुर, फरवरी 05, 2026

संख्या F.32(B)(After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219-part(1)-9060085/680 :-राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2026दिनांक 27जनवरी, 2026के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29में संशोधन के बिन्दु संख्या 3.7.6के प्रावधानुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर निर्गम एवं विक्रय मूल्य नियम, 1997 के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा /राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की निम्नांकित श्रेणियों का वर्ष 2026-27के लिये प्रति बोतल (750 एम.एल.) न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

क्र.सं.	ईएनएन निर्मित मदिरा की किस्म	न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि रू0 में)	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य प्रति बोतल(750 एम.एल.) (राशि रू0 में)
1	देशी मदिरा 40 यूपी ग्लास पात्र	231	278
2	देशी मदिरा 50 यूपी ग्लास पात्र	204	244
3	देशी मदिरा 5 यूपी केसर कस्तुरी ग्लास पात्र	605	726
4	राजस्थान निर्मित (RML)मदिरा-ग्लास पात्र	319	383

- उक्त अधिसूचना 01.04.2026 से प्रभावी रहेगी।

शिवप्रसाद नकाते,

आबकारी आयुक्त, राजस्थान।

22808

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।